तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही जज इलाहाबाद जज	
	विपक्षी का पक्ष है। वकील अभ्यर्थी के प्रार्थना पत्र 07 R 11 CPC व आदेश 10 व 11 CPC जैसा [illegible] आदेश विपक्षी पक्ष द्वारा प्रस्तुत पत्रावली पाई जवाब प्रार्थना पत्र 07 R 11 CPC व आदेश 10 व 11 CPC दिनांक 04.06.25 को पेश है।	
04.06.25 लोक अदालत की भावना से संतोषजनक होने के कारण अब उक्त प्रकरण नहीं चलाना चाहते हैं। भविष्य में भी कोई विवाद वाद आदि वादित नहीं करेंगे। सरोजा देवी	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षों को सुनाई गया तथा वकील अभ्यर्थी व अभ्यर्थी तथा उपस्थित इस परमादेश के मध्य आपसी रंजिश होने के कारण दल बदल व मारपीट करने को लेकर विपक्षी [illegible] प्रार्थना पत्र 212 को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र को [illegible] पर खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	
जमन कुमार कश्यप पहचानकर्ता		
कृष्णा देवी		

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.07.10 13:54:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भावरा

Scanned with CamScanner